

प्रेषक,

राज्य मिशन निदेशक (एस0बी0एम),  
राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0,  
सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त नगर आयुक्त,  
नगर निगम, उ0प्र0।  
समस्त अधिशासी अधिकारी,  
नगर पलिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

संख्या:-पी0एम0यू0/7770/441(2)/2023

दिनांक 21 फरवरी, 23

विषय:- "10तक डोर टू डोर" अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त दिशा-निर्देश दिये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया पत्र संख्या पी0एम0यू0/7457/441(2)/2023 लखनऊ दिनांक 25 जनवरी, 2023 का सदंभ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय के विशिष्ट अभियान "10तक डोर टू डोर" की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का वर्णन किया गया है।

आप विदित है कि "10तक डोर टू डोर" अभियान का द्वितीय चरण (Persuade) दिनांक 15 फरवरी 2023 से गतिमान है। जिसके अन्तर्गत स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति, महिला वर्ग, विद्यार्थीगण आदि से संबंधित अतिरिक्त निर्देश निम्नवत है:-

1. स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के अध्यक्ष व वरिष्ठ सदस्यों का निकाय की परिधि में दिनांक 22 फरवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बैठक कर निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें:-

- स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के सदस्यों को "10तक डोर टू डोर" अभियान के प्रथम चरण प्रार्थना (Pray) की उपलब्धियों के विषय में अवगत कराये।
- स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के सदस्यों को "10तक डोर टू डोर" अभियान के द्वितीय चरण सहमत (Persuade) के अन्तर्गत पूर्ण सहयोग करने के साथ-साथ वार्ड स्तर पर सोर्स सेग्रीगेशन के प्रति जन-जागरूकता हेतु प्रचार करने के लिये प्रेरित करना सुनिश्चित करें।
- स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के सदस्यों को "10तक डोर टू डोर" अभियान के अन्तर्गत दिनांक 04 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक चलाये जाने वाले तृतीय चरण चालान (Penalise) के विषय में अवगत कराना सुनिश्चित करें।

2. "10तक डोर टू डोर" अभियान के अन्तर्गत वार्ड स्तर पर पूर्ण सहभागिता देकर उत्कर्ष प्रदर्शन करने वाली 3 महिलाओं को निकाय स्तर पर सम्मानित करने की योजना है। जिसका चयन स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के द्वारा निम्नवत मानकों के आधार पर किया जाना है:-


- प्रतिदिन प्रातः 10 बजे तक अपने घर के कूड़े का सोर्स सेग्रीगेशन कर नियमित रूप से वेस्ट कलेक्टर को सुपूर्द करना।
- नियमित रूप से अपने घर में होम कम्पोस्टिंग कर उत्कर्ष उदाहरण प्रस्तुत करना।
- "10तक डोर टू डोर" अभियान के अन्तर्गत पूर्ण सहयोग करने के साथ-साथ वार्ड स्तर पर होम कम्पोस्टिंग व सोर्स सेंग्रीगेशन के प्रति जन-जागरूकता के लिये निरंतर प्रचार कर जन-सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु प्रयास करना

उक्त के क्रम में सम्मान हेतु महिलाओं का चयन स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के न्यूनतम 70 प्रतिशत सदस्यों की सहमति की दशा में किया जाना है।

3. निकाय की परिधि में स्थित विद्यालयों से समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों को ठोस कचरे के प्रबंधन के विषयगत प्रशिक्षण देने हेतु कूड़ा निस्तारण केन्द्र का भ्रमण करवाना सुनिश्चित करें, साथ ही विद्यार्थियों के माध्यम से उनके माता-पिता को सोर्स-सेग्रीगेशन के विषयगत जागरूकता हेतु संलग्न Creative (पोस्ट कार्ड एट होम) को भरवाकर विद्यालयों में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।

4. निकाय में कार्यरत सक्रिय एन0जी0ओं0 एवं एस0एच0जी0 को चिन्हित कर उनके माध्यम से "10तक डोर टू डोर" अभियान के प्रतिव्यापक जन -सहभागिता व जन-जागरूकता हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन कराना सुनिश्चित करें।
5. "10तक डोर टू डोर" अभियान के अन्तर्गत शत-प्रतिशत डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हेतु सुनियोजित "स्थायी यात्रा योजना"(बीट प्लान) बनाकर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- सलंगन उपारोक्तानुसार

भवदीया,


  
(नेहा शर्मा)

राज्य मिशन निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. जनपद के समस्त डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर/ डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर, एस0बी0एम0 को इस निर्देश कि साथ प्रेषित कि "10तक डोर टू डोर" अभियान के विषयगत यथोचित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल

  
(नेहा शर्मा)

राज्य मिशन निदेशक

आदरणीय

हम अपेक्षा करते हैं कि आपके घरों में दो कूड़ेदान हरा और नीला होगा।

हां  नहीं

# हरा गीला सूखा नीला



प्राकृतिक कूड़ा



मानव निर्मित कूड़ा

स्वच्छता के इस महाअभियान में आपका  
सहयोग अपेक्षित है



---

---

---